न्यायिक संयम की जरूरत

लेखक- मार्कंडेय काटजू (पूर्व न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय) और आदित्य मनुबारवाला (सुप्रीम कोर्ट में लॉ क्लर्क-कम-रिसर्च असिस्टेंट)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

16 मई, 2019

"कानून बनाना न्यायाधीशों का नहीं, बल्कि विधायिका का काम है।"

सुप्रीम कोर्ट में हालिया रुझान न्यायशास्त्र का समाजशास्त्रीय पाठशाला पर अधिक भरोसा करना और प्रत्यक्षवादी पाठशाला पर कम भरोसा करना है। दूसरे शब्दों में, न्यायालय न्यायिक संयम के बजाय न्यायिक सक्रियता का अधिक सहारा ले रहा है, जो समस्याग्रस्त है। हम इस तथ्य को दिवाली पर पटाखे जलाने के लिए समय सीमा तय करने पर दिए गये फैसले, जो विधायिका का एक कार्य है; नदियों को जोड़ने पर इसके निर्णय, जिसके लिए कोई संसदीय कानून नहीं है; और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित मामलों में अपने अप्रत्याशित फैसलों में, जहाँ हाल ही में एक भाजपा युवा मोर्चा के नेता को संविधान के अनुच्छेद-19(1)(ए) में दी गयी गारंटी के बावजूद एक मीम (Meme) साझा करने के कारण अपने जमानत आदेश के लिए माफी मांगने के लिए कहा गया था, में देख सकते हैं।

न्यायशास्त्र के प्रकार

18वीं और 19वीं शताब्दी में जेरेमी बेंथम और जॉन ऑस्टिन जैसे न्यायविदों द्वारा निर्धारित प्रत्यक्षवादी सिद्धांत, जिसे 20वीं शताब्दी में एच.एल.हार्ट, हैंस केल्सन और अन्य द्वारा भी कायम रखा गया, के अनुसार कानून को नैतिकता और धर्म के आधार पर प्रतिष्ठित किया जाना चाहिए। हालांकि, एक विशेष कानून चाहे कितना भी खराब क्यों न हो, लेकिन अन्तोगत्वा वो एक कानून है, यदि वह एक सक्षम विधायिका से आया हो (पहले प्राकृतिक कानून सिद्धांत के अनुसार, बुरा कानून बिल्कुल भी कानून नहीं था)

प्रत्यक्षवादी न्यायशास्त्र में कानूनी प्रणाली के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र वैधानिक कानून है, अर्थात विधायिका द्वारा बनाया गया कानून। कानून बनाना न्यायाधीशों का काम नहीं है, बल्कि विधायिका का है। इसलिए, न्यायाधीशों को नियंत्रित किया जाना चाहिए और उनका दृष्टिकोण सक्रियतावादी नहीं होना चाहिए। राज्य के तीन अंगों की शक्तियों के पृथक्करण के सुस्थापित सिद्धांत को देखते हुए न्यायाधीशों को विधायी या कार्यकारी कार्य नहीं करने चाहिए और अराजकता से बचने के लिए राज्य के प्रत्येक अंग को अपने स्वयं के क्षेत्र में रहना चाहिए।

दूसरी ओर, यूरोप और अमेरिका में रूडोल्फ रिटर वॉन झेरिंग, यूजेन एर्लिच, ल्योन डुगिट, फ्रांकोइस जिनी, रोसको पाउंड और जेरोम न्यू फ्रैंक जैसे न्यायविदों द्वारा विकसित समाजशास्त्रीय न्यायशास्त्र, कानूनी प्रणाली के गुरुत्वाकर्षण केंद्र को विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून से न्यायाधीशों द्वारा बनाए गए कानून की तरफ ले जाता है। यह न्यायाधीशों को कानून बनाने के लिए व्यापक विवेकाधीन अधिकार प्रदान करता है।

समाजशास्त्रीय न्यायशास्त्र और प्राकृतिक कानून की एक ही समस्या है। केल्सन ने तर्क दिया था कि प्राकृतिक कानून के साथ, कोई भी सब कुछ और कुछ नहीं भी साबित कर सकता है और बेंथम ने प्राकृतिक कानून को सैद्धांतिक रूप से व्यर्थ माना है। इसी तरह की आलोचना समाजशास्त्रीय न्यायशास्त्र के बारे में भी है, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय भरोसा करता है। दूसरे शब्दों में, न्यायालय अपने व्यक्तिपरक विचारों के अनुसार कानून के रूप में कुछ भी निर्धारित कर सकता है।

प्रत्यक्षवादी न्यायशास्त्र निर्माण के शाब्दिक नियम पर निर्भर है क्योंकि इसके हटाने पर प्रत्येक न्यायाधीश को अपने स्वयं के विचार के अनुसार कानून घोषित करने की एक नि:शुल्क शक्ति प्राप्त हो जाएगी और इसके परिणामस्वरूप कानूनी अराजकता शुरू हो जाएगी। उदाहरण के लिए, द सेकंड जज केस (1993) और थर्ड जजेस केस (1998), जिसने जजों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली बनाई, जो संविधान के किसी प्रावधान पर आधारित नहीं थी।

अनुच्छेद-124, जिसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती है, में किसी भी कॉलेजियम प्रणाली का जिक्र नहीं किया गया है। फिर भी, यह कॉलेजियम ही है जो जजों की नियुक्ति का फैसला करता है, लेकिन इसकी व्याख्या संविधान के संस्थापकों द्वारा कहीं भी नहीं की गयी है। वास्तव में, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) के पक्ष में संसद की सर्वसम्मत इच्छा के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट ने छश्राब अधिनियम को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करेगा।

हाल के दिनों में, सर्वोच्च न्यायालय ने एक आक्रामक तरीके से न्यायशास्त्र की समाजशास्त्रीय पाठशाला को तेजी से अपनाया है। एक संसदीय लोकतंत्र में, नागरिकों के पास बहुत जिम्मेदारी होती है, जिनका संसद सदस्यों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। राज्य के तीनों अंगों में से, यह केवल न्यायपालिका है जो तीनों अंगों की सीमाओं को परिभाषित कर सकती है। इसलिए इस महान शक्ति का प्रयोग विनम्रता और संयम के साथ किया जाना चाहिए।

दुर्लभ परिस्थितियों में

समाजशास्त्रीय न्यायशास्त्र के उपयोग को बहुत ही दुर्लभ परिस्थितियों में उचित ठहराया जा सकता है, जैसे कि भारतीय दंड संहिता की धारा-377 को रद्द करने के उच्चतम न्यायालय के फैसले में।

गिसवॉल्ड बनाम कनेक्टिकट में, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ह्यूगो ब्लैक ने चेतावनी दी कि 'निर्बाध न्यायिक रचनात्मकता इस कोर्ट को दैनिक संवैधानिक परंपरा में बदल देगी।' पश्चिम वर्जीनिया स्टेट सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अनुसार:- "मुझे एक न्यायाधीश के रूप में अपनी सीमाओं के बारे में बहुत कम भ्रम है। मैं एक अकाउंटेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, फाइनेंसर, बैंकर, स्टॉक ब्रोकर या सिस्टम मैनेजमेंट एनालिस्ट नहीं हूँ। न्यायाधीशों से यह अपेक्षा करना मूर्खता है कि वे किसी जनोपयोगी कार्यवाही की पेचीदगियों को संबोधित करते हुए 5000 पेज के रिकॉर्ड की समझदारी से समीक्षा करें।

उच्चतम न्यायालय को न्यायशास्त्र की समाजशास्त्रीय पाठशाला के अपने उपयोग को केवल सबसे असाधारण स्थितियों तक सीमित रखना चाहिए और जहाँ तक संभव हो, प्रत्यक्षवादी पाठशाला को नियोजित करना चाहिए।

GS World टीम...

कॉलेजियम व्यवस्था

क्या है?

- देश की अदालतों में जजों की नियुक्ति की प्रणाली को 'कॉलेजियम व्यवस्था' कहा जाता है।
- 1990 में सुप्रीम कोर्ट के दो फैसलों के बाद यह व्यवस्था बनाई गई थी। कॉलेजियम व्यवस्था के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में बनी वरिष्ठ जजों की समिति जजों के नाम तथा नियुक्ति का फैसला करती है।
- सुप्रीम कोर्ट तथा हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति तथा तबादलों का फैसला भी कॉलेजियम ही करता है।
- हाईकोर्ट के कौन से जज पदोन्नत होकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, यह फैसला भी कॉलेजियम ही करता है।
- कॉलेजियम व्यवस्था का उल्लेख न तो मूल संविधान में है और न ही उसके किसी संशोधन प्रावधान में।

पृष्ठभूमि

- यह सिस्टम 28 अक्टूबर, 1998 को 3 जजों के मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के जरिए प्रभाव में आया था।
- कॉलेजियम सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजों का एक फोरम जजों की नियुक्ति और तबादले की सिफारिश करता है।
- कॉलेजियम की सिफारिश मानना सरकार के लिए जरूरी होता है।
- UPA सरकार ने 15 अगस्त, 2014 को कॉलेजियम सिस्टम की जगह NJAC (राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग) का

गठन किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर, 2015 को राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) कानून को असंवैधानिक करार दे दिया था।

- इस प्रकार वर्तमान में भी जजों की नियुक्ति और तबादलों का निर्णय सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम ही करता है।
- NJAC का गठन 6 सदस्यों की सहायता से किया जाना था, जिसका प्रमुख सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बनाया जाना था। इसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ जजों, कानून मंत्री और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ीं 2 जानी-मानी हस्तियों को सदस्य के रूप में शामिल करने की बात थी।
- NJAC में जिन 2 हस्तियों को शामिल किए जाने की बात कही गई थी, उनका चुनाव सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता या विपक्ष का नेता नहीं होने की स्थिति में लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता वाली कमिटी करती है । इसी पर सुप्रीम कोर्ट को सबसे ज्यादा आपत्ति थी।

कॉलेजियम सिस्टम और एनजेएसी में अंतर?

- एनजेएसी (राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग) सरकार द्वारा प्रस्तावित एक संवैधानिक संस्था है, जिसे जजों की नियुक्ति के कॉलेजियम सिस्टम की जगह लेने के लिए बनाया गया था। वहीं, कॉलेजियम सिस्टम के जरिये पिछले 22 साल से जजों की नियुक्ति की जा रही है।
- एनजेएसी में 6 सदस्यों का प्रस्ताव था। देश के चीफ जस्टिस को इस आयोग का प्रमुख बनाने की बात कही गई थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ जजों, कानून मंत्री और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ीं 2 जानी-मानी हस्तियों को बतौर सदस्य शामिल करने की बात थी।
- कॉलेजियम सिस्टम में चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजों का एक फोरम जजों की नियुक्ति और तबादले की सिफारिश करता है।
- संविधान में कॉलेजियम सिस्टम का कहीं जिक्र नहीं है। यह सिस्टम 28 अक्टूबर, 1998 को 3 जजों के मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के जरिए प्रभाव में आया था।
- एनजेएसी में जिन 2 हस्तियों को शामिल किए जाने की बात कही गई थी, उनका चुनाव चीफ जस्टिस, प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता या विपक्ष का नेता नहीं होने की स्थिति में लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता वाली कमेटी करती है।
- इसी पर सुप्रीम कोर्ट को सबसे ज्यादा ऐतराज था। एनजेएसी को चुनौती देने वाले लोगों ने दलील दी थी कि जजों के सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट का नया कानून गैर-संवैधानिक है।
- इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर असर पड़ेगा। वहीं केन्द्र ने इसका बचाव करते हुए कहा था कि 20 साल से ज्यादा पुराने कॉलेजियम सिस्टम में कई खामियां थीं।

विशेषज्ञों का तर्क?

- देश की मौजूदा कॉलेजियम व्यवस्था "पहलवान का लड़का पहलवान" बनाने की तर्ज पर "जज का लड़का जज" बनाने की जिद करके बैठी है।
- भले ही इन जजों से ज्यादा काबिल जज न्यायालयों में मौजूद हों। यह प्रथा भारत जैसे लोकतान्त्रिक देश के लिए स्वास्थ्यकर नहीं है।
- कॉलेजियम सिस्टम का कोई संवैधानिक दर्जा नहीं है। इसलिए सरकार को इसको पलटने के लिए कोई कानून लाना चाहिए, ताकि भारत की न्याय व्यवस्था में काबिज कुछ घरानों का एकाधिकार खत्म हो जाये।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. कॉलेजियम में सदस्यों की संख्या 5 है।
2. संसद न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है।
3. कॉलेजियम व्यवस्था का उल्लेख न तो मूल संविधान में है और न ही उसके किसी संशोधन प्रावधान में।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) 1 और 3
(b) केवल 2
(c) 2 और 3
(d) 1, 2, और 3

1. Consider the following statements-

1. The number of members in collegium is 5.
2. The Parliament can increase the number of judges.
3. The collegium system is mentioned neither in the original constitution nor in its amendments .

Which of the above statements is/are correct?

(a) 1 and 3
(b) Only 2
(c) 2 and 3
(d) 1, 2 and 3

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्नः- न्यायिक सक्रियता से आप क्या समझते हैं? न्यायिक सक्रियता ने भारतीय लोकतंत्र को सकारात्मक रूप से लाभान्वित किया है। इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (250 शब्द)

Q. 'What do you mean by Judicial activism? Judicial activism has benefited the Indian Democracy.. Critically analyse the Statement. (250 Words)

प्रश्नः- 'भारत में न्यायपालिक की स्वतंत्रता और साख केवल कॉलेजियम व्यवस्था में ही बनी रह सकती है। सरकार का अनावश्यक हस्तक्षेप इसकी स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है।' स्पष्ट कीजिए। (250 शब्द)

Q. The independence and credibility of judiciary can only persist through collegium system. The unnecessary interference of government in it can influence its independence. Critically analyse. (250 Words)

GS World
Committed To Excellence

नोट : 15 मई को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(d) होगा।